न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

लेखा इन्दवार ....बनाम.................. बीणा देवी वगैरह

क्र० / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
06-12-17	अभिलेख सं0–एम.....168..... / 2017 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी राहे ओ०पी०के अप्राथमिकी सं0–43/17 दिनांक–14-11-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि महेशपुर मौजा अन्तर्गत खाता नं० 56 प्लोट नं० 476 रकबा 2.93 डी० भूमि पर लगे धान के काटने को लेकर उत्पन्न विवाद को लेकर उभय पक्ष में तनाव है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष / विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि ...22-12-17... को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। 6/12/17 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
22-12-17	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 19-01-18 को रखें। 22/12/17	

पृष्ठ सं०–

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
25-06-18	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 20-07-18 को रखे। 25/6/18
20-07-18	अभिलेख उपस्थापित। पुनः नोटिस का तामिला प्राप्त उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 06-08-18 को रखे। 20/7/18
06-08-18	अभिलेख उपस्थापित। पुनः नोटिस का तामिला प्राप्त। उभय पक्ष अनुपस्थित। इक्तवाद में दिनांक 22-12-17 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। किन्तु उक्त तिथि को उभय पक्ष उपस्थित नहीं होकर लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं पुनः उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त हुआ किन्तु उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष में में वर्तमान में शान्ति भंग होने की कोई संभावना नहीं है और न ही थाना प्रभारी/पु०नि० से उभय पक्ष में शान्ति भंग होने संबंधी कोई प्रतिवेदन न्यायालय को प्राप्त है।
	अतः उक्त वाद की अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है।
	लिखापित एवं संशोधित
	कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (रांची)
	6/8/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (रांची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 13:52:29 +05:30
Location: 192.168.43.107